

22/12-वेकिली प्रस्तुत हुई। आज आभभाषक सघ द्वारा काय स्थगित रखा है
अतःपूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 9.2.23 को प्रस्तुत हो

9.2.23
T. P.

92/23

पञ्जाबमी हाउस | वकील करिगण केसुव |
न्यायालय के इसा कार-वार एक एक
कर चुकाते जाते के उपर करी करिगण
ना ही वकील करिगण न्यायालय के
समझ उपज्जार हुये। अतः काउ करम
हाफिरी करम पेची मे खासिज किया
जाता है। पञ्जाबमी निपटानुसार काखिल
दफ्तर होर नकर से कर दे।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

